

# स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग म.प्र.

## नागरिक घोषणा-पत्र

प्रौद्योगिकी - प्रदेश के नागरिकों को प्रधानी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता जितने कि वे एक स्वास्थ्य जीवन की ओर आगरह होने में सहाय हों।

अग्रिमाल - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार के लिए मतीबद्ध है। जल भागीदारी के माध्यम से सामाजिक सदृश्य के साथ सुधार, प्रधानी और कियानित तरीके से मनोनित समय सीमा में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।

उद्देश्य - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का उद्देश्य सभी हितग्राहियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में उपचारी तथा रोकथाम हेतु विकित्सा सेवा प्रदान करना है।

### मुख्य उपलब्ध सुविधाएँ -

- 24 घंटे आपातकालीन विकित्सा सेवा प्रदान करना ।
- प्रसव पूर्व जांच और प्रस्त॑री
- प्रस्त॑रात (प्रसव के बाद) सेवाएँ एवं जांच
- नवजात शिशु विशेषज्ञ विकित्सा इकाई
- इद्रिय रोग विशेषज्ञ (आईसीपी)
- सामाजिक तत्व विकित्सा
- नेत्र विकित्सा, दंत विकित्सा
- हड्डी एवं जोड़ों के विकित्सा
- बाल्य विकित्सा (0-14 वर्ष की आयु)
- नाक-कान-गले के विकित्सा
- रेफियोग्राफी, एक्स-रे, अन्त्रोसोनोग्राफी, सीटी स्कैन
- महिला में 40 वर्ष उपरांत होने वाले रोगों का निदान
- देशी विकित्सा पढ़ति, बाह्य रोगी, पोषण पुरुषात्स केन्द्र
- परिवार कल्याण इकाई - पुरुष नन्तर्बंदी, महिला नन्तर्बंदी, गर्भ निरोधक
- एचआईडी/एस के बारे में जागरूकता
- आयुष्मान योजना के अंतर्गत भर्ती की सुविधा
- जननी सुरक्षा योजना
- छाकर जांच केन्द्र (क्षय रोग)
- कुप्रथा रोग निदान
- राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत सहायता
- मेडिकोलैगिक परीक्षण
- किशोर-किशोरी स्वास्थ्य बलीनिक
- अंतर्गती रोगी बलीनिक
- बृद्ध उपचार बलीनिक
- रोशनी बलीनिक
- एन.सी.डी. बलीनिक
- बाल शक्ति केन्द्र
- ब्लड बैंक

### अल्प सुविधाएँ -

- पहियों वाली कुर्सी एवं स्ट्रेचर (अनुरोध पर) 2) रोगी वाहन (24x7 घंटे) 3) रोगी वाहन सेवा दूरभाष क्र. 108 4) पेयजल सुविधा 5) जन्म-मृत्यु पंजीयन

**पूछताछ -** \* टेलीफोन नं. 0733-2224107, 2221107

\* विशेषज्ञों/विकित्सकों की बैठक व्यवस्था तथा बाल्य रोगी, अंतरों रोगी, औपरेशन वियेटर में उपलब्ध की जानकारी

**शिकायत विवारण -** उपचार में कठिनाई आने पर निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क करें एवं शिकायत दर्ज करायें।

सिविल सर्जन

टेलीफोन नं. 0733-2230799

सिविल अधिकारी

टेलीफोन नं. 0733-2225990

### रोगियों के रूप में नागरिकों के अधिकार -

- स्वीकृत मानकों के अनुसार विकित्सा उत्तमात्मा व उपचार प्राप्त करने का अधिकार ।
- अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं और निर्धारित शुल्क की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार ।
- रोगी की जिविता, गंभीरता, निदान एवं प्रस्तावित उपचार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार ।
- उपचार के लिए लिखी गई अपारिषद की साथ उसके सामान्य प्राप्त व संभावित दुष्प्रभावों को जानने का अधिकार ।
- किसी भी दावा, जांच व इलाज करने का अधिकार और ऐसा करने पर संभावित परिणामों के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार ।
- आपकी गोपनीयता, गरिमा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विश्वासों का सम्मान किये जाने का अधिकार ।
- आपकी हालत और इलाज से संबंधित विकित्सकीय जानकारी को जानने का अधिकार ।
- विकित्सकीय स्थिति को गोपनीय रखे जाने का अधिकार ।
- अस्पताल द्वारा बनायी गई प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का अधिकार और किसी भी शिकायत को शीघ्रता और अच्छी तरह निपटाने का अधिकार ।
- उपचार से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत करने तथा शिकायत के निराकरण को तत्परता से निराकरण करने की प्रक्रिया को जानने का अधिकार ।

### नागरिकों की जिम्मेदारी -

- इस योग्यान्वयन-पत्र की सफलता उपभोक्ताओं के समर्थन पर निर्भर करती है ।
- कृपया उन वाधाओं की सराहना करें जिसके तहत अस्पताल का करता है ।
- कृपया दूरसंचारों के लिए अतुविद्याओं का कारण न बर्दे ।
- कृपया अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र और इसके परिसर को साफ और स्वच्छ रखने में मदद करें, परिसर में थूके नहीं ।
- कृपया इस अस्पताल की सुविधाओं की देखभाल कर उपयोग करें ।
- अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र है । यहाँ बीड़ी, सिंगरेट, पान, तम्बाकू का सेवन न करें । राशि रु. 200/- जुर्माना ।
- ट्रान्सल ते से साधान रहें ।
- कृपया अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने लिए अनुचित पक्ष की मांग करने से दूर रहें ।
- याकिंग - कृपया सुनिश्चित करें कि वाहन गैर पर्किंग बेत्र में तो खड़े नहीं हैं और गंभीर रोगी को आपातकालीन से जाने में बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान करें ।

**अस्पतालकालीन सेवाएँ (काल्यान्वयनी, दाता सेवा, नियिक विकित्सालय) 24 घंटे उपलब्ध**

### साहाय्य दोनों विभाग -

- रोगी का पंजीयन
- आपातकालीन की स्थिति में नये रोगी का पंजीकरण
- नव विकित्सा
- हड्डी रोग विकित्सा
- बाल्य विकित्सा
- प्रातः 9:00 से दोपहर 1:30 तक एवं दोपहर 2:15 से 4:00 बजे तक
- 24 घंटे
- प्रतिदिन अवकाश को छोड़कर
- प्रतिदिन अवकाश को छोड़कर
- प्रतिदिन अवकाश को छोड़कर

### अंतर्रोगी शास्त्र विकित्सा, रसी एवं प्रस्त॑री, नेत्रोग्न, अस्तित रोग इत्यादि -

- महिला मृत्यु को महिला विकित्सालय में लिए जाने का समय - प्रातः 10:30 से दोपहर 2:00 एवं सायंकाल 4:00 से राती 10:00 बजे तक तक रु. 5/- के पास के साथ ।
- महिला वाट्ट में राती 10 बजे परचार तुरुल का रुक्कना प्रतिवर्षित है ।

### प्रदोषकालीन सेवा -

- नम्रता रोग्य समय सीमा (नियमित)
- आपातकालीन प्रयोगशाला
- विकित्सा रिपोर्ट आपाति का समय
- दूसरे अधिकार तम्य
- आपातकालीन की स्थिति में
- आपरेशन कक्ष
- प्रातः 9:00 बजे दोपहर 2:30 बजे
- दोपहर 3:00 बजे से 8:00 एवं रात 8:00 से प्रातः 8:00 तक
- दोपहर 3:00
- 24 x 7 घंटे
- 24 x 7 घंटे
- सामान्य समय तथा आपातकाल में आपरेशन

### रोगाओं का आजाक -

- बाल्य रोगी विभाग पंजीयन
- अंतर्रोगी विभाग पंजीयन
- विकित्सक के साथ परामर्श
- दाता विकित्सा
- प्रयोग शाला जांच, नम्रताकरण रिपोर्ट प्राप्ति
- जांच प्रक्रिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, नेत्र जांच
- जन्म-मृत्यु विकित्सा प्रमाण-पत्र की उपलब्धता
- शिकायतों का निवारण (अधिकार)
- जैव-विकित्सा आपरेशन नियांदान
- 15 मिनिट
- 10 मिनिट
- 30 मिनिट
- 30 मिनिट
- 60 मिनिट उत्तीर्ण दिन
- 60 मिनिट आले दिन की जायें 30 मिनिट (सामान्य) 120 मिनिट (विशेष जांच)
- अस्पताल की छुट्टी के समय
- 7 दिन और तकाल यदि वह रोगी के प्रबंधन से संबंधित है तो
- 48 घंटे

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीकार  
जिला विकित्सालय, खण्डवा



Scanned with  
CamScanner

Scanned by CamScanner